पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–14/2019ज॰स॰– 87

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 19/8/19

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को 20 अदद लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रूपये 1123.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तेईस लाख मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–63/2018–19, दिनांक –12.02.2019, Online AA- 2097, Dated-12.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19– नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**470200796190545	**1123.00**
आवंटित राशि – रू॰ ग्यारह करोड़ तेईस लाख मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 14000.00 लाख** (एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

16.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 87 रॉची, दिनांक :– 19/08/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

16.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 87 राँची, दिनांक :– 19/08/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

16.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक ....87........ दिनांक ....19/08/19.... का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2019–20) – 14000.00 लाख
विपत्र कोड– **50S470200796190545**

(राशि लाख में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वर्ष 2019–20 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	भरनो	सुपा नाला पर श्रृ0 चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	116.167	2097 dt. 12.02.2019	100.880	0.000	13.500	61.000	74.500	74.500	51438	
2				बंधर नाला में एकल चेकडैम निर्माण		55.044		47.640	0.000	6.400	29.000	35.400	35.400		
3			रायडीह	मरदा नाला में श्रृ0 चेकडैम निर्माण		260.149		224.230	0.000	30.000	113.000	143.000	143.000		
4				सतासराय नाला पर चेकडैम निर्माण		49.510		39.730	0.000	5.300	24.000	29.300	29.300		
5			कामडारा	गरई नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		137.028		117.280	0.000	15.700	59.000	74.700	74.700		
6				कुरीबेरा नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		69.346		60.990	0.000	8.200	37.000	45.200	45.200		
7			बसिया	रामडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		257.013		221.670	0.000	29.700	134.000	163.700	163.700		
8				मलगो नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		160.698		140.100	0.000	18.700	71.000	89.700	89.700		
9			चैनपुर	केराबार नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		216.397		192.070	0.000	25.700	77.000	102.700	102.700		
10				कुसुम नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		66.459		58.040	0.000	7.700	30.000	37.700	37.700		
11			डुमरी	अनाबीरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		164.375		141.510	0.000	19.000	71.000	90.000	90.000		
12				बोनरिया नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		99.089		78.730	0.000	10.500	48.000	58.500	58.500		
13			गुमला	जोराटांड़ सोसो नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		230.598		198.130	0.000	26.500	119.000	145.500	145.500		
14				आंजन डुमरडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		74.441		55.170	0.000	7.400	23.000	30.400	30.400		
15			बिशुनपुर	चिंगरी घाघरा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		220.596		189.530	0.000	25.400	76.000	101.400	101.400		
16				जयराम लैण्ड के पास चापाटोली नाला पर चेकडैम निर्माण		87.306		48.720	0.000	6.500	30.000	36.500	36.500		
17			पालकोट	गांधी नगर के पास चिलकोटा नाला पर चेकडैम निर्माण		84.914		67.840	0.000	9.000	41.000	50.000	50.000		
18			जारी	तेतरी टोली नाला पर चेकडैम निर्माण		61.857		46.610	0.000	6.300	28.000	34.300	34.300		
19			घाघरा	पकरी/कुकुरडूबा नाला पर एकल चेकडैम निर्माण कार्य		69.342		56.910	0.000	7.600	35.000	42.600	42.600		
20				कोचाअम्बा नाला पर एकल चेकडैम निर्माण कार्य		51.923		41.960	0.000	5.600	17.000	22.600	22.600		
				योग :–		**2,532.252**		**2127.740**	**0.000**	**284.700**	**1,123.000**	**1,407.700**	**1,407.700**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 16.8.19
अपर मुख्य सचिव